

संख्या: 23/2015/941 /अडतीस-5-2015-01सम/2015 टी0सी0

प्रेषक,

अरुण सिंघल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2015

विषय:- "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-242/ अडतीस-5-2015-01 सम/2015, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में भूजल के संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों, पोखरों, झीलों तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरोद्धार हेतु उन्हें चिन्हित करते हुये यथा निर्देश कार्यवाही की जानी है।

2- राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनबिलिटी मद से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-15/अडतीस-5-2015-08सम/2014, दिनांक 20 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-यू0ओ0-445/अडतीस-5-2015-01सम/2015, दिनांक 18 जून, 2015 द्वारा सस्टेनबिलिटी मद एवं मनरेगा कनवरर्जेन्स से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री जल बचाओ योजनान्तर्गत एक हैक्टेयर या इससे बड़े आकार के तालाबों के पुनरोद्धार की कार्ययोजना के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही की जाये:-

- (1) भूजल रिचार्ज हेतु बनाये जा रहे एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के तालाब निर्माण की फण्डिंग सस्टेनबिलिटी मद से किया जाय। इससे कम क्षेत्रफल के तालाब मनरेगा से बनाये जा रहे हैं, अतः तालाब निर्माण में समुचित कन्वर्जेन्स हो रही है। एक ही कार्य में एन0आर0डी0डब्लू0पी0, मनरेगा, आई0डब्लू0एम0पी0 इत्यादि कई स्रोतों से वित्त पोषण न कराया जाए बल्कि तीनों योजनाओं से अलग-अलग तालाब निर्माण कराये जाय।
- (2) तालाब के किनारे घाट नहीं बनाये जायेंगे, क्योंकि प्रथम वर्ष में पानी लम्बे समय तक भरे रहने की सम्भावना कम है।
- (3) इनलेट/ आउटलेट स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाये जायेंगे, इनकी संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- (4) तालाब की गहराई न्यूनतम तीन मीटर रखी जाए तथा मिट्टी की खुदाई का कार्य किनारों पर तदुसार एंगिल आफ रिपोज के आधार पर किया जाए, प्राप्त स्लोप में आवश्यकतानुसार खस्का भी बनाया जा सकता है। तालाब के किनारों पर बर्म तीन से पांच मीटर के बनाये जायेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 2 मीटर तक के बर्म भी उत्तर प्रदेश जल निगम की तकनीकी समिति की संस्तुति पर स्वीकृत किये जा सकते हैं।
- (5) भूजल रिचार्ज के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार सम्बन्धी गतिविधियों को तालाब निर्माण के साथ-साथ क्रियान्वित किया जाय।
- (6) तालाब निर्माण हेतु अतिदोहित / क्रिटिकल विकास खण्डों को प्राथमिकता दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- तदुसार शासनादेश संख्या-जी0आई0-15/अडतीस-5-2015-08सम/2014, दिनांक 20 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-यू0ओ0-445/अडतीस-5-2015- 01सम/2015, दिनांक 18 जून, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

( अरुण सिंघल )

प्रमुख सचिव

संख्या- 23/2015/941 (1)/अडतीस-5-2015, तदिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- (7) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
- (9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( कामता प्रसाद )

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।